पत्रांक 1201

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी (**RTE Cell**)
बोकारो।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
नई दिल्ली

बोकारो, दिनांक 31/08/21

विषय :– गौरव आवासीय उच्च विद्यालय बंशीडीह चास, बोकारो झारखण्ड के संचालन के संबंध में।
प्रसंग :– सरकार के प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड राँची का पत्रांक–1148 दिनांक–18.07.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–629 दिनांक–25.04.2019 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या–629 दिनांक–25.04.2019 के अन्तर्गत सरकार के प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड राँची के पत्रांक–1148 दिनांक–18.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार गौरव आवासीय उच्च विद्यालय बंशीडीह चास, बोकारो की वर्ग 01 से 08 तक की मान्यता के लिए आवेदन विचारधीन है। इस विद्यालय का मान्यता से संबंधित आवेदन पत्र एवं अन्य संगत अभिलेख अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में नियमानुसार संधारित एवं प्रकियाधीन है।

उक्त विद्यालय का **UDise Code**– 20130328101 है तथा वर्तमान में कक्षा–01 से 08 तक संचालित है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी (**RTE Cell**) बोकारो।

ज्ञापांक 1201 बोकारो,दिनांक 31-08-2021

प्रतिलिपि :– प्राचार्य गौरव आवासीय उच्च विद्यालय बंशीडीह चास, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/8/2021

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी (**RTE Cell**) बोकारो।

31/8/21

(100) (42)

पत्रांक 17/शि.1-02/16-1148

झारखण्ड सरकार

(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,भा०प्र०से०
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक 18.07.2019

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय की मान्यता से संबंधित।

प्रसंग :- विभागीय अधिसूचना सं 629 दिनांक 25.04.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित अधिनियम के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित सभी निजी विद्यालयों को राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त करने की अनिवार्यता है। पूर्व में राज्य स्तर पर गठित राज्य स्टीयरिंग कमिटि द्वारा निजी विद्यालयों से इस हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुये मान्यता प्रदान करने के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाती रही है। विभागीय अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019 से मान्यता के संबंध में कार्रवाई की शक्ति अब उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति को प्रदान की गई है। अतएव इस संबंध में सभी कार्रवाई जिलास्तर से ही संपादित होगी।

2. निजी विद्यालयों की मान्यता के क्रम में कई ऐसे विद्यालय पूर्व से संचालित है जिन्हें CBSE अथवा ICSE से संबंद्धता प्राप्त है। इस कोटि के विद्यालयों के द्वारा वर्ग 1-8 के लिए मान्यता हेतु आवेदन समर्पित किया गया है परन्तु अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, जिसपर अब जिलास्तरीय समिति विचार करेंगी। ऐसे विद्यालयों को विद्यालय संचालन में बाधा न हो इस हेतु इस आशय का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है कि – "वर्ग 1-8 में मान्यता के लिए इनका आवेदन विचाराधीन है" अगर हर तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त है तथा प्रक्रियाधीन है। यह आदेश उन्हीं विद्यालयों पर प्रभावी होगा जिन्हें CBSE तथा ICSE की मान्यता उच्चतर कक्षाओं के लिए पूर्व से राज्य सरकार की अनुशंसा से प्राप्त है। इस आलोक में निदेश है कि उपर्युक्त अंकित प्रमाण-पत्र निर्गत करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

3. अपने जिला के क्षेत्राधीन निजी विद्यालयों को मान्यता हेतु आवेदन करने की समय- सीमा भी निर्धारित करना होगा ताकि मान्यता के संबंध में कार्रवाई ससमय पूर्ण किया जा सके। निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात् विद्यालय आवेदन नहीं कर सकेंगे एवं ऐसे विद्यालयों को बंद करने की कार्रवाई की जायगी।

4. यह संभावना है कि जिला के क्षेत्राधीन कतिपय ऐसे विद्यालय होंगे, जो बिना यू-डायस के संचालित हो रहे हों। ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करना होगा। इस हेतु विज्ञापन के माध्यम से सभी संबंधितों को सूचित करते हुये यू-डायस आवंटन के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है, परन्तु बिना मान्यता वाले विद्यालय को यू-डायस आवंटित नहीं करना है।

(99) (41)

5. मान्यता के संबंध में प्रचार-प्रसार एवं निजी विद्यालयों के प्रबंधकों को जानकारी देने तथा उन्हें जागरूक करने के दृष्टिकोण से जिला स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित की जाय जिसमें विस्तार से चर्चा करते हुये निजी विद्यालयों की मान्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी संबंधितों को उपलब्ध करायी जाय।

6. मीडिया तथा प्रखण्ड स्तर पर भी कार्यशाला की जाय। अवैध तथा RTE Act 2009 के विरूद्ध विद्यालय संचालित न हो।

7. सभी सरकारी/प्राइवेट विद्यालय में मात्र प्रशिक्षित शिक्षक ही अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। इसका सत्यापन भी किया जाय।

कृपया उपर्युक्त के आलोक में यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

18/07/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-17/वि1-01/16-1148 रांची, दिनांक :- 18/07/2019

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उप विकास आयुक्त-सह-सचिव जिला परिषद् को सूचनार्थ तथा अधीनस्थों के बीच परिचालनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

18/07/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-17/वि1-01/16-1148 रांची, दिनांक :- 18/07/2019

प्रतिलिपि :- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा/ राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/07/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-17/वि1-01/16-1148 रांची, दिनांक :- 18/07/2019

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। इसकी प्रतियाँ सभी यू-डाईस प्राप्त विद्यालय को दे तथा मासिक समीक्षा करे।

18/07/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-17/वि1-01/16-1148 रांची, दिनांक :- 18/07/2019

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग विभाग (IPRD), झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/07/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।